


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

OK
1-8-85

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 91] नई दिल्ली, बुध्दपतिवार, फरवरी 21, 1985/फाल्गुन 2, 1906
No. 91] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 1985/PHALGUN 2, 1906

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1985

का. जा. 156 (अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961
में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक ही पैसठवां
संशोधन) नियम, 1985 है ।
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में, शीर्षक "रसायन और उर्वरक मंत्रालय" के अन्तर्गत, प्रविष्टि 12 के पश्चात्, निम्न-लिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"13. भोपाल गैस रिसना कुर्घटना—तत्सम्बन्धी विशेष विधियां ।"

जैल सिंह
राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/85-मंत्रि.]

एल. आर. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 1985

S.O. 156(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and sixty-fifth Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule, under the heading "MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)", after entry 12, the following entry shall be inserted, namely :—

"13. Bhopal Gas Leak Disaster—Special laws relating thereto."

ZAIL SINGH
President

[No. 74/2/1/85-Cab.]

L.R.K. PRASAD, Jt. Secy.